बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

सं0सं0–02 / एम0एम0(बा0)–02 / 24–....................... / एम0, पटना, दिनांक–..................

प्रेषक,

विनोद दूहन, भा0प्र0से0,
निदेशक, खान।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
भवन निर्माण विभाग / पथ निर्माण विभाग / पंचायती राज विभाग,
ग्रामीण कार्य विभाग / जल संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन विभाग,
ग्रामीण विकास विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग /
योजना एवं विकास विभाग / उद्योग विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– राज्यान्तर्गत निर्माण परियोजनाओं के कार्यों के लिए जिलों में बालू की उपलब्धता के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्यान्तर्गत विभिन्न जिलों में ई–नीलामी के माध्यम से पीले बालूघाटों के साथ–साथ सफेद बालूघाटों की भी बंदोबस्ती की गयी है। वर्तमान में राज्यान्तर्गत कुल 180 बालूघाट संचालित है, जिसमें से सफेद बालू के 18 घाट हैं। इन बालूघाटों से बालू की प्राप्ति की जा सकती है **(वर्तमान में संचालित पीले बालूघाटों व सफेद बालूघाटों की विवरणी संलग्न)।**

2. यह भी कहना है कि विभिन्न जिलों में अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन के विरूद्ध कार्रवाई के फलस्वरूप जप्त बालू राज्यान्तर्गत विभिन्न जिलों में उपलब्ध है। जिलान्तर्गत जप्त बालू की नीलामी हेतु विभागीय पत्रांक–333, दिनांक–17.01.2025 से सभी जिलों को निर्गत दिशा–निर्देश निम्नवत है :–

''जप्त बालू के निस्तारण हेतु कम से कम एक बार आम सूचना के माध्यम से नीलामी की कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जाए। यदि प्रथम बार नीलामी में कोई निविदादाता भाग नहीं लेते हैं तो पुनः नीलामी की प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है अथवा विधि व्यवस्था / अन्य अपरिहार्य कारणों से यदि आवश्यक समझा जाए तो जप्त बालू को schedule of rate पर सरकारी कार्य विभागों को अग्रिम भुगतान के पश्चात उपलब्ध कराया जा सकता है।''

इस प्रकार जिलान्तर्गत जप्त बालू जिलों से schedule of rate पर प्राप्त की जा सकती है **(जिलान्तर्गत जप्त बालू की विवरणी संलग्न)।**

3. इसके अतिरिक्त बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–78 में निम्न प्रावधान है :–

P.T.O

"78– किसी कार्य विभाग को खनन पट्टा आदि –

(1) इस नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी कार्य विभाग को, जिलों के विनिर्दिष्ट संख्या में किसी विशिष्ट योजना के लिये विनिर्दिष्ट समयावधि के लिये अनुज्ञप्ति/पट्टा मंजूर कर सकेगी।

(2) उक्त कार्य विभाग को बकाया स्वामिस्व तथा ऐसी अन्य फीस, जो इस नियमावली के अधीन लागू हो, देनी होगी।"

इस प्रावधानानुसार कार्य विभाग द्वारा खनन पट्टा प्राप्त कर बालू की प्राप्ति की जा सकती है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि आपके विभाग/निगम के राज्यान्तर्गत निर्माण परियोजनाओं के कार्यों के लिए बालू की आपूर्ति उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में प्राप्त की जा सकती है। इस संबंध में आवश्यकता पड़ने पर संबंधित जिले के खनिज विकास पदाधिकारी से भी सम्पर्क कर संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा समन्वय स्थापित किया जा सकता है।

सादर।

अनु0 :– यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/–
निदेशक, खान

ज्ञापांकः–../एम0, पटना, दिनांकः–..................
प्रतिलिपिः–सभी समाहर्त्ता को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक, खान

ज्ञापांकः–......2638......../एम0, पटना, दिनांकः–..14.05.25
प्रतिलिपिः–सभी उप निदेशक/सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

14/5/25
निदेशक, खान

D 2025